राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1428/2014.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान–मैसर्स माहेश्वरी एण्ड सन्स, 385, बी.एल.रोड, बालूपुरा, उदयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–सी, उदयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2014	खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री मदन लाल, सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह तीन अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें वा.क.अ., वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत् पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 के जरिये निर्धारण वर्ष 2011–12 के संबंध में कायम मांग राशि के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया जाकर, सुनवायी के दौरान रू. 2,52,473/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री ओ.पी.गोडेश्वरी, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री के.एस.झाला, सहायक आयुक्त, रिवीजन, अजमेर बहस हेतु दिनांक 09.09.2014 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि. से माल क्रय कर आगे "विक्रय" करने के कारण विक्रय आवली (Series of Sale) में वह (अपीलार्थी व्यवहारी) द्वितीय व्यवहारी है। अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा पारित मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि. के अपील कमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 के प्रकाश में प्रथम विक्रेता व्यवहारी मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., के प्रकरण में माननीय खण्डपीठ द्वारा कायम रखा गया समस्त "कर" मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि. द्वारा जमा कराया जा चुका है । अतः ऐसी स्थिति में, मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि. से क्रीत माल के समस्त विक्रय मूल्य पर पुनः अपीलार्थी व्यवहारी पर करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि प्रथम विक्रेता पर विक्रय कीमत, जो अपीलार्थी व्यवहारी की क्रय कीमत है, पर कर वसूल हो चुका है। अग्रिम कथन किया कि समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की	

10.09.2014

खण्डपीठ के द्वारा अपील कमांक 480, 481 व 482/2014/भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 09.05.2014 के जरिये वसूली पर रोक लगायी जाकर संयुक्तादेश दिनांक 09.05.2014 पारित किया गया है। लिहाजा, उक्त आधारों पर, प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, वसूली योग्य बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों, प्रस्तुत दस्तावेजों व कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा अपील संख्या 480, 481 व 482/2014/भीलवाड़ा के प्रकरणों मे पारित आदेश दिनांक 09.05.2014 के जरिये बकाया मांग राशियों की वसूली पर पारित रोक आदेश के अवलोकन के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तगत प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होता है। लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वसूली योग्य मांग राशि रू. 2,52,473/– की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

आदेश सुनाया गया।

10.9.14

(मदन लाल)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष